न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. चम्पा देवी पत्नी श्री पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 3 जे.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....अपीलान्ट.....

बनाम-

1. सरपंच ग्राम पंचायत 4 जे.एस.डी. बुगिया प.स. अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. राम कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी ढालिया हाल निवासी 3 जे.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. श्योपतराम पुत्र श्री आसाराम जाति नायक निवासी 239-500 आर.डी. तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण.....

उपस्थिति - श्री ओम धायल वकील रेस्पोडेन्ट
श्री गुरविन्द्र सिंह एवं प्रेम सैनी वकील अपीलान्टगण

(अपील)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

प्रकरण संख्या - 19/2012 निर्णय दिनांक - 27/06/2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि अपीलान्ट के पति पूर्णा वल्द भीयाराम मेघवाल के नाम से वाके चक 3 जे.एस.डी. का मु.नं. 92 प.नं. 127/365 का किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. एवं मु.नं. 105 प.नं. 127/366 का किला नं. 1 ता 15 का 3.795 है. कुल 9.943 है. भूमि खातेदारी थी। अपीलान्ट के पति पूर्णा वल्द भीयाराम ने दो विवाह किये थे जिसमें एक पत्नी में अपीलान्ट एवं दूसरी पत्नी रतनी देवी थी। पूर्णराम का देहान्त दिनांक 28/07/2012 को हो चुका है। एवं उनके देहान्त उपरान्त उपरोक्त रका मुझ अपीलान्ट एवं रतनी देवी के पास बराबर बराबर हिस्सा में आना था। उक्त रकबा में से कुछ रकबा को अपने जीवन काल में अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होने पर पूरे परिवार की जानकारी में विक्रय कर दिया था। बकाया रकबा अपीलान्ट एवं रतनी देवी के हिस्सा में आना था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि पूर्णराम की पत्नी रतनी देवी का भतीजा है ने रतनी देवी के साथ

लगातार.....2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

मिलकर हड़प करने के लिए एक फर्जी कूटरचित वसीयत पूर्णराम को धोखा में रख कर बिना स्वतन्त्र इच्छा के 30-00 बीघा की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा तैयार कर ली एवं अपने अन्य अनेक दस्तावेज परिवार कार्ड/वोटर लिस्ट आदि भी 3 जे.एस.डी. में अपनी रिहायश दर्शाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य कर्मचारियों से मिलकर तैयार कर लिये तथा अपीलान्ट को उक्त भूमि से महरूम करने के लिए उक्त तथाकथित कूटरचित एवं फर्जी वसीयत दिनांक 13/01/2009 का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य इन्तकाल संख्या 609 दिनांक 05/09/2012 के द्वारा स्वीकृत करवा लिया एवं उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को नुमाईशी बैयनामा दिनांक 05/10/2012 के द्वारा विक्रय करना दर्शाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से इन्तकाल संख्या 628 दिनांक 08/10/2012 को स्वीकृत करवा लिया है जो कि दोनों ही ईन्तकाल विधि विरूद्ध दर्ज एवं स्वीकृत होने, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत होने व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा प्राकृतिक नियमों की पालना किये बिना स्वीकृत होने से काबिले खारिजी के है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर यह अपील पेश की जा रही है। आलोच्य इन्तकाल संख्या 609 दिनांक 05/09/12 जो कि वसीयत का इन्तकाल है को रेस्पोडेन्ट संख्या1 के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ मिलीभगत करके स्वीकृत किया गया है जबकि वसीयत की जांच करने का न तो सरपंच महोदय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त है औ न ही इन्तकाल को स्वीकृत करवाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वसीयत बाबत प्रथम दृष्टया जांच का अधिकार तहसीलदार राजस्व को प्रदान कियागया है। एंव उक्त आलोच्य इन्तकाल में इन्तकाल तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर के आदेश क्रमांक 4193 से दर्ज किया जाना दर्शाया गया है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार सरपंच महोदय के द्वारा इन्काल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब आदेश तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रदान किये गये है तो इन्तकाल जिस आदेश की पालना में दर्ज किया गया है उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार भी उसी अधिकारी को होता है न कि सरपंच महोदय को ऐसा अधिकार प्राप्त था। इसलिए आलोच्य इन्तकाल संख्या 609 गलत विधि विरूद्ध स्वीकृत किया जाने से काबिले खारिजी के है एवं इन्तकाल संख्या 609 विधि विरूद्ध है इसलिए उक्त भूमि का हस्तान्तरण भी स्वतः विधि विरूद्ध हो गया है एवं इन्तकाल संख्या 618 भी विधि विरूद्ध एवं काबिले निरस्ती के है। साथ ही आलोच्य बैयनामा बिना किसी प्रकार प्रतिफल की वास्तविक अदायगी एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण आदि के नुमाईशी मात्र अपीलान्ट को उक्त भूमि से महरूम करने एवं उक्त कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने मात्र के लिए करवाया गया है। इसलिए उक्त बैयनामा अपीलान्ट के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य, निष्प्रभावी एवं बिलाबदल दस्तावेज है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर दर्ज स्वीकृत इन्तकाल भी काबिले निरस्ती के है। अलोच्य इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट का सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान नही किया गया और ना ही कोई नोटिस आदि जारी कर अपीलान्ट को तामील ही करवाया गया है। जबकि तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर के द्वारा वसीयत का

लगातार........3

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व वसीयत की जांच करने बाबत एवं अन्य वसीयत नहीं होने, कोई विवाद नहीं होने पर ही इन्तकाल दर्ज करने हेतु आदेश दिनांक 24/08/2012 को प्रदान किये गये है जिसकी पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोई पालना नहीं की गई है इसलिए भी आलोच्य इन्तकाल काबिले निरस्ती के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की नियत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नाजायज लाभ पहुचाने की रही है एवं विवादित वसीयत बाबत इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व सिविल न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाया जाना अति आवश्यक होता है जिसकी भी पालना नहीं की गई है जिस कारण से भी आलोच्य इन्तकाल विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है। आलोच्य इन्तकाल एवं कूटरचित फर्जी वसीयत एवं नुमाईशी बैयनामा की जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को नहीं थी। आलोच्य इन्तकाल बाबत सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10/10/2012 को होने पर आलोच्य इन्तकाल, वसीयत, बैयनामा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की एवं एक परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120(बी) भा.द.स. का भी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग श्री विजयनगर में पेश किया है एवं बिना देरी अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। इन्तकाल संख्या 6098 दिनांक 05/09/2012 को स्वीकृत है चूंकि अपील अवधि 30 दिवस होने के कारण से इन्तकाल दिनांक 05/09/12 के विरूद्ध अपील में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में होने के कारण क्षमा योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य इन्तकाल संख्या 609 दिनांक 05/09/2012 वसीयत इन्तकाल एवं इन्तकाल संख्या 618 दिनांक 08/10/2012 बैयनामा का इन्तकाल भूमि चक 3 जे.एस.डी. का मु.नं. 92 प.नं. 127/365 व मु.नं. 105 प. नं. 127/366 का 6.148 है. भूमि बाबत स्वीकृत इन्तकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर रकबा पुनः पूर्ण वल्द भीयाराम के नाम से दर्ज करने एवं विधिवत् वारिसान इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत 4 जे.एस.डी.(बुगिया) का रिकॉर्ड तलब किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत 4 जे.एस.डी. बुगिया ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 609 चक 3 जे.एस.डी. 05/09/11 के प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार स्वीकृत किया गया है जो पंचायत द्वारा सही दर्ज किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

लगातार.....4

उप खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया व उभय पक्ष वकीलों की बहस सुनी गई और निष्कर्ष रूप में पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत 4 जे.एस.डी. बुगिया द्वारा पारित इन्तकाल आदेश क्रमांक 609 दिनांक 05/09/2012 विधि प्रक्रिया पूर्ण कर दर्ज किया गया है। यदि प्रार्थी को वसीयत दस्तावेज में कोई संशय है तो सक्षम न्यायालय में वसीयत को चुनौती करने हेतु स्वतन्त्र है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाकर खारिजी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner